[Shri Basudeb Acharia]

any solution. The Home Ministry says that the problems of railway pensioners are to be dealt with by the Railway Ministry and the Railway Ministry, in turn, advised the All India Retired Railwaymen's Federation that it was the Finance Ministry which was competent to deal with their problems and the pension department of the Finance Ministry has again thrown the ball in the Railway Ministry's court. To say the least, this attitude speaks of utter callousness and indifference of the Government to their problem. This state of affairs has naturally created frustration among the pensioners. And the Governmeot should know that most of the pensioners are facing a situation of destitution because of the nonchalant attitude of the Government.

Therefore, I urge upon the Government to examine their problems and redress them as early as possible.

(xiii) Need to release quota of Paper for Madhya Pradesh to meet the demands of students

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : महोदया, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्र क्रमांक 17 से सम्बन्धित यह प्रकरण है। इस सूत्र में कहा गया है कि उचित दर की दुकानों की व्यवस्था कर के, कारखाने में काम करने वाले मजदूरों व छात्रों के लिए, दुकानें खोलकर, छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और कापियां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जायेगा तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का अभियान चलाया जायेगा। तदुपरान्त व्याख्या में कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय इस समय पाठ्य पुस्तकों की छपाई तथा कापियां तैयार करने के लिए, राज्यों की कागज सप्लाई करता है। भविष्य में छात्रों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्यों की कागज की सप्लाई बढ़ाई जायेंगी और नियंत्रित मूल्यों पर कापियां बेचने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। इसके विपरीत शिक्षा मंत्रालय कार्यरत है। दिसम्बर, 81 तक कागज का कोटा तो मध्य प्रदेश शासन को दिया गया। प्रथम तिमाही 82 के कोटे में कुछ थोड़ी सी मात्रा दी गई तथा विगत 6 माह में कुछ भी नहीं।

जुलाई 82 को जो शिक्षा सत्र प्रारम्भ हुआ, उसमें लगभग एक करोड़ छात्रों के करीब अभिभावकों को रियायती दर की कापियां उपलब्ध नहीं हो सकी तथा खुले बाज़ार से महंगी दरों पर कापियां खरीदनी पड़ी। आज भी वही स्थिति बनी हुई है।

अतएव शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि अविलम्ब यह कागज का कोटा मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत किया जावे।

Strike by Employees of Neyvete Neyveti Lignite Corporation Limited.

DR. V. KULANDAIVELU (CHIDABARAM): Under Rule 377, I make the following statement.

I would like to draw the immediate attention of the Union Government about the serious plight of the employees over 17,000 in number of the Neyveli Lignite Corporation Ltd., and their families and total paralysis in the essential services and in the productivity with a marked set back in the power generation following non-settlement of Bonus Issue until date, consequently an indefinite strike since 10 P.M. of 27th October, 1982.

The Joint Union Action Council of NLC initially demanded 20 per cent Bonus inclusive of 4 per cent annual incentive on the grounds of 86 per cent productivity with an earmark of Rs. 38 crores profit for 1981-82.

Following series of negotiations the Management on principle agreed only upto 11.7 per cent exclusive of annual incentive of 4 per cent and 0.56 per

cent (for loan Rs. 50/-) as on 27-10-82 when the demand of the frustrated employees was a minimum of 14 per cent. As the demand and the offer did not meet together the Joint Union Action Council was forced to resort for an indefinite strike by 10 P. M. of 27th October, 1982. Now the indefinite strike is on the eight day and the NLC is incurring a loss of about 1 crore rupees per day.

As the disparity of loss (in crores of rupees) to the NLC due to indefinite strike and the demands (in lakhs of rupees) of the employees are vast, I urge upon the Union Government to come forward magnanimously, and safeguard the interest of the Nation and the employees of the ULC.

(xv) Accidents caused by unexploded Bombs and other Explosives left at the site of firing range of the army near Itarsi

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में इटारसी के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रूफ रेंज बनाया गया है, वहां पर प्रतिदिन सेना के विभिन्न हथियारों का परीक्षण किया जाता है और साथ ही साथ वहां पर गोला बारूद बम आदि हथियारों का परीक्षण किया जाता है। गोला व बम के परीक्षण के बाद यह व्यवस्था रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है कि नष्ट हुए गोला व बम के पीतल एवं बहुमूल्य धातुओं के बने हुए खोलों को अपने कब्जे में रखें या उन्हें व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचावें। उक्त व्यवस्था न होने से स्थानीय निवासी गोला व बम की बहुमूल्य धातुओं को उठाते हैं और उन्हें इसके व्यापारियों को बेचते हैं जिससे उनको आर्थिक लाभ होता है। कई बार इन खाली बमों के खोलों में कुछ जीवित बम भी रह जाते हैं, जिससे बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं एवं कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। अभी तक इस तरह की दुर्घटनाओं में सैकड़ों व्यक्तियों की जानें जा चुकी हैं। गोला उठाने वाले इस तरह की दुर्घटनाओं की रिपोर्ट डर के कारण पुलिस में नहीं करते हैं और न ही मिलिटरी अधिकारी यह रिपोर्ट करते हैं।

मिलिटरी अधिकारियों से इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने हेतु कहा गया पर उनके द्वारा बतलाया गया कि हम नष्ट की हुई सामग्री को सुरक्षित नहीं रखते हैं। नीलाम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि नष्ट की हुई सामग्री में जीवित बम न रह जावें। इस तरह से यह एक गंभीर समस्या बन गई है।

मिलिटरी द्वारा नष्ट की हुई गोला बम के खाली खोलों को उठाने से कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, इस बात का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के कई ग्रामों में पुरुषों की संख्या कम होती जा रही है एवं कुछ ग्रामों में पुरुष ही नहीं बचे। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस तरह से चलने वाले मौत के व्यापार को समाप्त करने के अविलम्ब उपाय करें।

15.20 hrs.

MOTION RE: SIXTH FIVE YEAR PLAN—Contd.

MR. CHAIRMAN: We now go to the next item. Shri S. B CHAVAN, Planning Minister will reply.

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI S. B. CHAVAN): I am thankful to all the Members who have participated in the debate. We were very happy to have the advice of some of those who happened to be in the Government, and who had greater information with them. In that context, I had anticipated that they will be able to realise the importance and also the difficulties when the Plan documents